सूची–14 फारम सं0–563

आदेश की तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

यह अभिलेख आवेदक श्री बिनोद सिंह, पिता नन्दकेश्वर सिंह, ग्राम – बगरा, सिमरिया के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। श्री बिनोद सिंह द्वारा आवेदन दिया गया था कि ग्राम–सोंस, थाना–लावालौंग अंतर्गत थाना नं0–100, खाता संख्या–8 एवं 10 में भूमि को शंकर पासवान, गणेश पासवान, नाटो पासवान, एवं सुरज पासवान सभी के पिता कैल दुसाध ग्राम–सोंस थाना–लावालौग एवं ग्राम सोंस थाना सं0–100 के खाता सं0–01 के जमीन को भागवत यादव, पिता छत्रु यादव के द्वारा जोत आवाद करने मे व्यवधान उत्पन्न करते है। आवेदन पत्र के आलोक में अभिलेख संधारण करतें हुए विपक्षी को मूल कागजात प्रस्तुत करने के लिए नोटिस निर्गत की गई।

विपक्षी द्वारा खाता संख्या–08 एवं 10 से संबंधित खतियान की प्रति उपलब्ध कराया गया, तथा खाता सं0–01 के खतियान में भागवत यादव द्वारा वर्ष–1938–39 एवं 1942–43 का रसीद तथा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 का रसीद उपलब्ध कराया गया जमाबंदी कायम होने संबंधी कोई प्रमाण नहीं दिखाया गया, वर्ष–1938–39, 1942–43 का लगान रसीद भी फर्जी प्रतीत होता है।

राजस्व उपनिरीक्षक ने अपने जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि पंजी II के पृष्ठ संख्या–04 भाग संख्या–01 खाता संख्या–01 में प्लॉट दर्ज नहीं है, रकबा–6.59 एकड दर्ज की गई है। जो भागवत महतो, पिता–सुबोध महतो के नाम से कायम है। आवेदक श्री बिनोद सिंह के द्वारा अपने समर्थन में 1942 का केवाला एवं लगान रसीद–1962–63, 1965–66, 1976–77, 1979–80, 1983–84, 1910–11, एवं 1913–14 तक समर्पित किया है तथा पूर्व से दखल–कब्जा चला आ रहा है।

अभिलेख एवं उपलब्ध कागजात से स्पष्ट होता है कि खाता संख्या–08 एवं 10 को विपक्षी द्वारा खतियान का आधार बनाकर दावा किया जा रहा है, जो निराधार है। खाता संख्या–08 प्लॉट संख्या–235, 233, एवं 294 रकबा–0.33 ए0 खाता संख्या–10, प्लॉट संख्या–168, 169, 170 एवं अन्य रकबा–0.91 एकड तथा खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–103, 106, 107 एवं अन्य रकबा–6.59 एकड मे से 3.36 एकड भूमि का जमाबंदी नियमित किया जाता है शेष खाता संख्या–01 में रकबा–6.59 एकड भागवत महतो, पिता छत्रु महतो पंजी ii के पृष्ठ सं0–04 भाग स0–01 मे चल रही जमाबंदी को स्थागित किया जाता है। आवेदक की उपरोक्त खाता प्लॉट की भूमि ऑफ लाईन कायम करें जिसे ऑनलाईन करने के लिए राजस्व उपनिरीक्षक को आदेश निर्गत किया जाता है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by SHARWAN RAM
Date: 2021.06.18 12:42:49 +05:30
Location: 192.168.225.188

12/11/2020
अचल अधिकारी
लावालौग।

12/11/2020
अचल अधिकारी
लावालौग।